

इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को इस वाद के प्रति अभिरुचि नहीं रह गई है। फलतः अपीलार्थी को विगत कई तिथि से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण वाद के प्रति कोई अभिरुची नहीं रहने के कारण वाद की करिवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित्त एवं सौधोचित

ॐ

उपायुक्त - सह -

जिला दंडाधिकारी, गढ़वा।

ॐ

उपायुक्त - सह -

जिला दंडाधिकारी
गढ़वा।